

आदेश की
क0सं0
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
सहित तारीख

1

2

3

न्यायालय :- उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात अपील वाद संख्या- 16/2013

अनुमण्डल-सह-जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार - अपीलार्थी।

बनाम्

अमेरिका यादव

- प्रतिवादी

अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से -

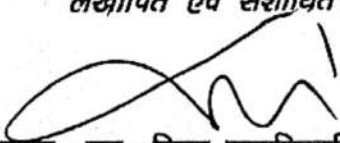
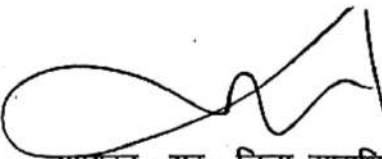
अधिवक्ता प्रतिपक्ष की ओर से -

18.02.21

प्रस्तुत वाद अनुमण्डल-सह- जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 550 दिनांक 03.09.2013 एवं पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1737/अप0शा0 दिनांक 17.08.2013 से लातेहार थाना काण्ड संख्या-93/13 दिनांक 11.06.2013 के नामजद अभियुक्त अमेरिका यादव के मकान में अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए छुपाकर रखे गये 100 (एक सौ) बोरा यूरिया खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 7 के अन्तर्गत राजसात करने के लिए लाया गया है, जिसे सुनवाई के बिन्दु पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी प्रारम्भिक की कुछ न्यायालय दिवस में उपस्थित हुये हैं तथा विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में विभिन्न तिथियों में कई नोटिस जारी किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस के तामिला के पश्चात भी प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित है। फलस्वरूप इस वाद को अपीलार्थी के अनुरोध पर एकपक्षीय रखते हुए सुनवाई करने का निर्णय लिया गया तथा प्रारम्भिक न्यायालय दिवस में प्रतिवादी द्वारा दाय्रील जवाब का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

व्यवहार न्यायालय, लातेहार के जी0आर0 378/13 (लातेहार थाना काण्ड संख्या- 93/13 दिनांक 11.06.2013) में प्रतिवादी जमानत पर मुक्त है। जप्त यूरिया खाद अनुज्ञप्तिधारी दुकानदार अनुज्ञप्ति संख्या- 10/2003 मेसर्स कृषि सागर ब्रह्मणी चन्दवा से ग्राम- कदिमा के ग्रामीणों द्वारा क्रय किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नहीं आता है। मेसर्स कृषि सागर ब्रह्मणी, चन्दवा से निर्गत कैश मेमों की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 7 अन्तर्गत दायर वाद को खारिज किया जाय। जप्त यूरिया खाद विवाद रहित है। इसलिए मेरे पक्ष में खाद को मुक्त किया जाय।

अपीलार्थी का कथन है कि प्रतिवादी चालबाजी से फर्जी कागजात तैयार कर न्यायालय को गुमराह कर रहा है। क्योंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मेसर्स कृषि सागर ब्रह्मणी, चन्दवा से निर्गत कैश मेमों की प्रति में खाद क्रय अलग-अलग तिथियों (दिनांक 04.06.2013, 06.06.2013 एवं 07.06.2013) में किया गया है तो

आदेश की 0 सं 0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3
	एक जगह पर खाद का भंडारण संदिग्ध है तथा प्रस्तुत साक्ष्य भ्रामक एवं सत्य से परे है। इसलिए प्रतिवादी के दावा को खारिज किया जाय तथा जप्त खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 7 के तहत राजसात किया जाय, ताकि खाद को बिक्री कर राशि सरकारी मद में जमा किया जा सके। उपरोक्त विवेचनाओं के आलोक में अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेज का परिशीलन किया गया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, लातेहार द्वारा लातेहार थाना काण्ड संख्या- 93/13 दिनांक 11.06.2013 के पर्यवेक्षण टिप्पणी में स्वतंत्र साक्षी के रूप में 1. नकुल यादव, पिता- तिलकू यादव, 2. बरती देवी, पति- दुनेश्वर यादव 3. सुगिया देवी, पति- मछिन्दर यादव, 4. तेतरी कुंवर, पति- चुटी यादव एवं 5. दिनेश यादव, पिता- छोटन यादव का ब्यान का वर्णन है, जिसमें सुगिया देवी को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि प्रतिवादी के घर में पाया गया खाद हमलोग का नहीं है, जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मेसर्स कृषि सागर ब्रह्मणी, चन्दवा का कैश मेमो स्वतंत्र साक्षी के रूप में ब्यान दर्ज कराने वाले बरती देवी, पति- दुनेश्वर यादव, दिनेश यादव, पिता- छोटन यादव के नाम से भी अलग-अलग तिथियों में कैश मेमो निर्गत है। स्वतंत्र साक्षियों का प्रतिवादी के घर में उर्वरक खाद नहीं होने की बात स्वीकार करना एवं मेसर्स कृषि सागर ब्रह्मणी, चन्दवा से उनके पक्ष में रसीद निर्गत होना परस्पर विरोधाभासी है। दिनांक 04.06.2013, 06.06.2013 एवं 07.06.2013 तीन अलग-अलग तिथियों में क्रय उर्वरक खाद का निर्गत कैश मेमो का क्रम संख्या- लगातार होना तथा एक साथ ट्रैक्टर पर लाकर एक ही जगह भंडारण किया जाना संदेहास्पद है। इस तरह स्पष्ट है कि उर्वरक यूरिया खाद को कालाबाजारी के नियत से प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से छुपाकर रखा गया था। जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 7 के तहत राजसात किया जाना आवश्यक है। आदेश- यूरिया एक नाइट्रोजनयुक्त रासायनिक खाद है, जो जल में अतिघुलनशील होता है। अधिक दिनों के बाद यूरिया खाद का उर्वरक शक्ति कम/खत्म हो जाता है। उक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा जप्त यूरिया खाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा- 7 के तहत राजसात किया जाता है। अनुमण्डल-सह- जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार को आदेशित किया जाता है कि जप्त यूरिया खाद की राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। <i>लेखापित एवं संशोधित।</i>  उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।  उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।	